

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नाकॉटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रात्म, राजस्व विभाग नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर – 29, फ़रीदाबाद – 121008 National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue NACIN Complex, Sector – 29, Faridabad – 121008 फोन/Telephone: 0129-2504652-54 फ़ैक्स/Fax: 0129-2504632

(By E-mail)

F. No. NACIN/TRNG/797/2022-I-S-TRNG

Dated: 15.11.2022

Madam/Sir,

Subject: Offline training on "Digital Evidences & Forensics" for Group 'A' officers of CBIC on 20.12.2022 & 21.12.2022- reg.

National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Faridabad is organizing an offline training for Group 'A' officers of CBIC on "Digital Evidences & Forensics" on 20th & 21st December, 2022.

2. You may nominate Group 'A' officers of CBIC for the said training. The details of participants may please be sent in the following table in **EXCEL** format **only**.

Sr. Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (In capital letters)
-------------------------	----------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------------

- 3. Details of the nominated officers may please be sent by 18th December, 2022 before 05:00 PM to this office by email only at Email ID: istnacin-faridabad@gov.in.
- 4. In case of any query/difficulty, Smt. Vikrant Rathi, Addl. Assistant Director (Mob: 9999011815) and Smt. Monika Gosain, Inspector (Mob: 8851299277) may please be contacted.
- 5. This issues after approval of competent Authority.

Yours faithfully,

Assistant Director

To

- 1. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs (All)
- 2. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 3. The Pr. Director General / Director General (All Directorates General under CBIC)
- 4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi
- 5. The Pr. Commissioners / Commissioners of Customs (All)
- 6. The Pr. Commissioners / Commissioners of CGST & Central Excise (All)
- 7. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Audit Commissionerate (All)
- 8. CBIC & NACIN Website



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी भारत सरकार, वित्त मंत्रात्य, राजस्व विभाग नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर – 29, फ़रीदाबाद – 121008 National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue NACIN Complex, Sector – 29, Faridabad – 121008 फोन/Telephone: 0129-2504652-54 फ़ैक्स/Fax: 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

फा. सं. NACIN/ TRNG/797/2022-I-S-TRNG

दिनांक: 15.11.2022

महोदया/महोदय,

विषय: – नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक" विषय पर दिनांक 20.12.2022 & 21.12.2022 को ऑफलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा **दिनांक** 20.12.2022 & 21.12.2022 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए "**डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक**" विषय पर ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

2. उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' के अधिकारियों को नामित किया जा सकता है। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जाये।

S	C	Name		7				Email ID
	No	of the	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	(In capital
	INO	Officer						letters)

- 3. नामांकन दिनांक 18 दिसम्बर, 2022 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से, ई-मेल आईडी-<u>istnacin-faridabad@gov.in</u> पर भेजे जा सकते हैं।
- 4. उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबन्धित किसी भी जानकारी हेतु श्रीमती विक्रांत राठी, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9999011815) एवं श्रीमती मोनिका गोसाईं, निरीक्षक (Mob. 8851299277) से संपर्क किया जा सकता है।
- 5. नामांकन पत्र सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषणः

- 1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
- 2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- 3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआईसी के तहत सभी निदेशालय)
- मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
- 5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
- 6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
- 7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
- सीबीआईसी एवं नासिन वैबसाईट